

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	वैशाख 09, बुधवार, शाके 1948- अप्रेल 29, 2026 Vaisakha 09, Wednesday, Saka 1948- April 29, 2026	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

वन विभाग

विज्ञप्ति

जयपुर, फरवरी 09, 2026

क्रम संख्या:- प. 2(2) वन/2026 :- चूँकि निम्नलिखित अनुसूची में दिखाई गई वन भूमि सरकार की सम्पत्ति है अथवा उनमें सरकार के स्वत्व है अथवा सरकार उनकी सम्पूर्ण वन उपज उसके किसी अंश की स्वतधारी (Entitled) है।

और चूँकि सरकार उपर्युक्त वन भूमि तथा बंजर भूमि को राजस्थान फोरेस्ट एक्ट, 1953 की धारा 29 उप धारा (1) के अन्तर्गत रक्षित वन (Protected Forest) घोषित करने का विचार रखती है।

और चूँकि पूर्वोक्त भूमि में अथवा उस पर सरकारी अथवा वैयक्तिक अधिकारों की सीमा तथा स्वरूप अभी तक किसी भी प्रकार से लेखबद्ध नहीं किये गये हैं।

और चूँकि सरकार यह भी विचार रखती है कि पूर्वोक्त वन भूमि अथवा बंजर भूमि में अथवा उन पर सरकार या वैयक्तिक अधिकारों की सीमा तथा स्वरूप के संबंध में जांच किया जाना तथा उन्हें लेखबद्ध किया जाना आवश्यक है परन्तु चूँकि इन कार्यों के सम्पादन में जितना समय लगेगा। इस बीच में सरकार के अधिकारों को क्षति पहुँचाने की आशंका है।

इसलिए अब राजस्थान फोरेस्ट एक्ट, 1953 (1953 की एक्ट संख्या 3) की धारा 29 की उप धारा (3) के प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकार इसके द्वारा फोरेस्ट सेटिलमेन्ट ऑफिसर / असिस्टेन्ट फोरेस्टर सेटलमेन्ट आफिसर को पूर्वोक्त वन भूमि अथवा बंजर भूमि में या उन पर सरकारी तथा वैयक्तिक अधिकारों की जाँच करके उन्हें लेखबद्ध करने हेतु नियुक्त करती है तथा ऐसी जाँच तथा अभिलेखन तथा साक्ष्य उसी प्रणाली में किया जायेगा जैसा कि उक्त एक्ट की धारा 6,7,8,10,11 (1) 12,13,14,17 तथा 19 में प्रवाहित है।

और उक्त एक्ट की धारा 29 की उप धारा (3) में परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेतर अनुसरा में राजस्थान सरकार उक्त जांच तथा अभिलेख सम्पादित होने तक उक्त वन भूमि और बंजर भूमि को इस विज्ञप्ति द्वारा रक्षित वन (Protected Forest) घोषित करती है, परन्तु इससे किसी व्यक्ति या वर्ग विशेष के वर्तमान अधिकारों में किसी प्रकार की कमी नहीं आयेगी और न उन पर कोई प्रभाव पड़ेगा।

और सरकार उक्त एक्ट की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेतर अनुसरण में यह भी घोषणा करती है कि उक्त संरक्षित वन के वे वृक्ष जो इसके संलग्न द्वितीय अनुसूची में

अंिकत किये गये है राजपत्र में इस विज्ञप्ति के प्रकाशन की तारीख से आरक्षित (Reserved) है और पूर्वोक्त तारीख से उक्त वन में पत्थरो को हटाया जाना अथवा चूना या कोयला जलाया जाना अथवा किसी प्रकार की वन उपज का संग्रहित किया जाना अथवा उसे किसी निर्माण प्रक्रिया का साधन बनाया जाना या हटाया जाना और उक्त वन में किसी भूमि का कृषि अथवा भवन निर्माण अथवा पशु पालन अथवा किसी भी अन्य प्रयोजन के लिये खंडित किया जाना अथवा साफ किया जाना निषिद्ध करती है।

प्रथम अनुसूचि (वन भूमि और बंजर भूमि)

द्वितीय अनुसूचि (आरक्षित वृक्ष)

राज्यपाल की आज्ञा से,

बीजो जाँय,

विशिष्ट शासन सचिव, वन।

પ્રથમ અનુસૂચી

क्र. सं	नाम ब्लॉक	नाम तहसील	नाम जिला	सीमा	विवरण		
					ग्राम का नाम	खसरा नं.	रकबा
1	2	3	4	5	6		
1	कूमला ए	दीगोद	कोटा	उत्तर- राजस्व भूमि कूमला पूर्व- खरावा का नाला दक्षिण- कृषि भूमि पश्चिम- कृषि भूमि	कूमला	52	0.56
						53	0.61
						54	1.96
						55	0.48
						56	0.63
						57	0.16
						58	0.16
						59	0.32
						60	0.31
						61	24.40
						62/261	0.50
						63	0.84
						64	1.05
	70	0.92					

						79	0.87
						221	38
						226	2.65
						228	0.10
					योग	कुल खसरे 18	74.5 2

अपूर्व कृष्ण श्रीवास्तव,
उप वन संरक्षक,
कोटा।

द्वितीय अनुसूची

क्र.सं.	बोटैनिकल नाम	हिन्दी नाम
1	<i>Senegalia catechu</i>	खैर
2	<i>Propolis Juliflora</i>	विलायती बबूल
3	<i>Balanites Roxburglii</i>	हिंगोट
4	<i>Butea mono sperma</i>	पलाश (छोला)
5	<i>Holoptelea integrifolia</i>	चुरैल
6	<i>Anogeissus pendula</i>	धोंक

अपूर्व कृष्ण श्रीवास्तव,
उप वन संरक्षक,
कोटा।

परिशिष्ट-क

प्रारम्भिक विज्ञप्ति के प्रस्ताव के साथ उप वन संरक्षक,द्वारा प्रमाण-पत्र

वन खण्ड - कूमला ए

रेंज - दीगोद

वनमण्डल - कोटा

1. संलग्न प्रारूप में दर्शाई गई भूमि का वर्गीकरण गैर मुमकिन जंगलात वन विभाग के नाम दर्ज है। जिसे विज्ञप्ति के कॉलम संख्या 6 में विस्तृत रूप से खसरा नम्बर का विवरण दर्शाया गया है।
2. वर्तमान में भूमि राजस्व लेखों में वन विभाग के नाम दर्ज है तथा मौके पर विभाग द्वारा कुछ क्षेत्रों में कराया गया है/कराना है। इसमें कोई अतिक्रमण अथवा खनन कार्य नहीं हो रहा है।
3. भूमि पर वृक्षों का घनत्व 0.0 से 0.2 है।
4. समीपवर्ती स्थित क्षेत्र राजस्व सिवाय चक बंजड व वन भूमि है। चारों ओर की सीमाओं का विस्तृत उल्लेख विज्ञप्ति के कॉलम संख्या 5 में कर दिया गया है।
5. वन खण्ड के वांछित मानचित्र (नक्षे) संलग्न है। एवं विज्ञप्ति में दर्शाई गई दिशाओं, सीमाओं एवं स्थिति के अनुरूप है। प्रस्तावित वन क्षेत्र की सीमा को नक्षों में लाल स्याही से इंगित किया गया है। प्रस्तावित क्षेत्र को जीटी शीट पर चिन्हित किया जाकर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है।
6. उल्लेखित वन क्षेत्रों को कानूनी रूप देने हेतु प्रचलित नियमों के अनुरूप शासकीय गजट में प्रकाशन होना नितान्त आवश्यक है। जिससे की इन भूमियों पर वन विभाग का साक्ष्य सिद्ध हो सके।
7. उक्त भूमि का पूर्व में राजपत्र में प्रकाशन नहीं हुआ है।

अपूर्व कृष्ण श्रीवास्तव,

उप वन संरक्षक,

कोटा।